

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3678-पीबीआर/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 13-10-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 130/15-16/अपील.

विनोद पिता जगदीश जाट
निवासी ग्राम बोदली
तहसील सरदारपुर जिला धार

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1-मोनाबाई बेवा मांगीलाल
निवासी अकोदिया तहसील सरदारपुर जिला धार
- 2-फुलिबाई पिता मांगीलाल जाट
निवासी ग्राम बसलई तहसील सरदारपुर जिला धार
- 3-रामूबाई पिता मांगीलाल जाट पति जगदीश जाट
निवासी ग्राम बोदली
तहसील सरदारपुर जिला धार
- 4-गोपाल पिता धुलजी
निवासी अकोदिया तहसील सरदारपुर जिला धार

.....अनावेदकगण

श्री अखिलेश शर्मा, अभिभाषक-आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक-अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3
श्री मुकेश तारे, अभिभाषक-अनावेदक क्रमांक 4

:: आदेश ::


(आज दिनांक 12/9/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-10-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसीलदार सरदारपुर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 व 178 के अन्तर्गत उनके संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि कुल सर्वे नम्बर 18 कुल रकबा 12.899 हेक्टेयर के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 6-10-08 को आदेश पारित कर बटवारा स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28-12-15 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13-10-16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) तहसीलदार के समक्ष उभयपक्ष की सहमति से बटवारा हुआ था इसलिये अनावेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं थी ।
- (2) फर्द बटवारा पर अनावेदकगण के अँगूठा निशानी है इससे भी बटवारा में सहमति स्पष्ट होती है और सहमति पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है ।
- (3) प्रकरण में इशितहार का प्रकाशन इसलिये किया जाता है कि यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह व्यक्त करें । वर्तमान प्रकरण में अनावेदकगण के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिये समाचार पत्र में विधिवत् प्रकाशन महत्वहीन है ।
- (4) फर्द बटवारा पर अनावेदकगण के अँगूठे निशानी फर्जी बताये गये हैं, जबकि विज्ञप्ति में उन्के हस्ताक्षर हैं ।





(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सहमति से पारित आदेश के विरुद्ध 7 वर्ष से भी अधिक विलम्ब को अवधि में मानने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्वयं अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा अवधि विधान के आवेदन पत्र के समर्थन में दिये गये शपथपत्र में स्वीकार किया गया है कि तहसीलदार के आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 6-8-10 को हुई । ऐसी स्थिति में 7 वर्ष का विलम्ब अक्षम्य है जिसे क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है।

तर्क के समर्थन में 2007 आरएन 359, 2005 आरएन 219 व 1978 आरएन 222 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।


4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) संहिता की धारा 109, 110 व 178 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये पृथक पृथक प्रक्रिया निर्धारित है इसके बावजूद आवेदक द्वारा अनावेदकगण को धोखे में रखकर उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर संयुक्त नामान्तरण/बटवारे की कार्यवाही कराई गई है जो कि अवैधानिक है इसलिये तहसीलदार का आदेश अधिकारिता रहित आदेश है जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) तहसीलदार द्वारा कब्जे के आधार पर असामान्य बटवार करने में संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है क्योंकि संहिता की धारा 178 में स्वत्व के आधार पर समान बटवारा करने का प्रावधान है ।

(3) आवेदक का दुराशय इसी बात से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं और प्रश्नाधीन भूमि पर कपटपूर्वक कराये गये नामान्तरण के आधार पर उक्त भूमियों अनावेदक क्रमांक 4 को विक्रय की गई है, जबकि विधि में प्रावधान है कि जब तक राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज नहीं होता है तब तक किसी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं ।

(4) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अधिकारिता रहित आदेश को किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है और उसमें समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता है इसलिये




अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को समय सीमा में मान्य किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है ।

तर्क के समर्थन में 1986 आरएन 305, 1989 आरएन 251, 1998 आरएन 389, 1994 आरएन 102, 2004 आरएन 279, 1980 आरएन 505, 1982 आरएन 218 व 1999 आरएन 208 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकपक्ष के तर्कों को समर्थन दिया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्थ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों एवं नियमों का पालन किये बिना बटवारा आदेश पारित किया गया है क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा विज्ञप्ति का विधिवत् प्रकाशन नहीं किया गया है और ना ही पटवारी से बटवारा फर्द प्राप्त की गई है और ना ही अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के कथन लिये गये हैं । तहसील न्यायालय के अभिलेख में खसरा वर्ष 2008-09 की प्रतियों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के नाम अंकित है । आवेदक अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा नियमों के विपरीत त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-10-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर